81

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण कमांक : 149–दो/2009 निगरानी – विरूद्व आदेश दिनांक 30–10–2008– पारित व्दारा – अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा – प्रकरण कमांक 3/2008–09 पुनरावलोकन

1– केदार सिंह पुत्र बैजनाथ सिंह

२– राघेवन्द्र सिंह 3– मनोज सिंह

पुत्रगण स्व.रामराज सिंह

4– नमर्दावाई पत्नि स्व.रामराज सिंह

सभी निवासी ग्राम मढ़ी तहसील अमरपाटन

जिला सतना मध्य प्रदेश ––आवेदकगण

विरूद्व

म०प्र० शासन ---अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव)

आ दे श

(आज दिनांक 7–08–2018 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण कमांक 3/2008–09 पुनरावलोकन में पारित आदेश दिनॉक 30–10–08 के विरूद्व म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि बैजनाथ सिंह एंव रामराज सिंह ने इस आशय का आवेदन प्रस्तुत किया कि ग्राम टेढ़वा की भूमि सर्वे नंबर 59

पर उनका कब्जा दखल है । भूमि पर पवई काल से लेकर आज तक काविज है इसलिये इस भूमि को उनके नाम दर्ज किया जाय। अनुविभागीय अधिकारी, अमरपाटन ने प्रकरण क्रमांक 20 अ 74/1978-79 पॅजीबद्व किया तथा आवेदकगण के आवेदन की जांच कराकर सुनवाई उपरांत आदेश, दिनांक 31-3-86 पारित करके आवेदकगण का आवेदन निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण क्रमांक 542/1985-86 अपील में पारित आदेश दिनांक 12-9-2006 से अपील निरस्त कर दी। इस आदेश पर से आवेदकगण ने अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष पुनरावलोकन आवेदन प्रस्तुत किया। अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा ने प्रकरण क्रमांक 3/2008–09 पुनरावलोकन में पारित आदेश दिनॉक 30-10-08 से पुनरावलोकन आवेदन निरस्त कर दिया। अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदकगण के अभिभाषक के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनावेदकगण की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं है।

4/ आवेदकगण के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि आवेदकगण ने अनुविभागीय अधिकारी अमरपाटन के समक्ष आवेदन देकर बताया है कि जागीर उन्मूलन विधान की धारा 28 वर्तमान लागू नियम म०प्र० भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 158 के अंतर्गत प्रकरण में विचार किया जाना था क्योंकि आवेदकगण की मांग अनुसार ग्राम टेढ़वा की भूमि सर्वे नंबर 59 पर उनका कब्जा पवाई काल से चला आ रहा है एंव तत्समय प्रचलित नियमों भूमि पाने की आवेदकगण को पात्रता है जिसकी अनदेखी की गई है।

आवेदकगण का परिवार फैल चुका है यदि वादित भूमि आवेदकगण से छीन ली गई, आवेदकगण के परिवार पर जीवन यापन का संकट आ जावेगा। वर्तमान तक वह भूमि पर काविज होकर खेती करते आ रहे हैं परन्तु अनुविभागीय अधिकारी अमरपाटन ने एंव अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा ने इस पर ध्यान न देने में भूल की है।

5/ आवेदकगण के अभिभाषक के तर्को के कम में उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से पाया गया कि अनुविभागीय अधिकारी अमरपाटन ने आवेदक के आवेदन के तथ्यों की नायव तहसीलदार से कराई है एंव नायव तहसीलदार ने प्रकरण का निराकरण स्व-स्तर से न करते हुये मामला अनुविभागीय अधिकारी की ओर निराकरण हेतु प्रेषित किया है। अनुविभागीय अधिकारी व्दारा प्रकरण के परीक्षण उपरांत इस प्रकार का निष्कर्ष दिया है :-

- आवेदक ने नकल खसरा 1964-65 से 1967-68 व 1952 - 53 से 1962-63 पेश किया है । वर्ष 1959-60 में उसका कब्जा खाना कैफियत - और इसके वाद 60-61 में किसी का कब्जा अंकित नहीं है । इन प्रविष्टियों को देखने से उसका कब्जा पूर्व दर्ज पाया जाता है परन्तु वर्ष 1957 के पूर्व अंकित नहीं है। म०प्र०शासन, राजस्व विभाग के ज्ञापन क्रमांक 9351-7-सा-2 दिनांक 28-10-57 व्दारा 15 अगस्त 1957 तक के अतिक्रमण व्यवस्थापित करने के आदेश 15-00 एकड़ तक की सीमा तक थे इसके वाद 17 नवम्बर 1965 के जिस ज्ञापन का हवाला नायव तहसीलदार ने दिया है उसके अनुसार व्यवस्थापन की सीमा 5-00 एकड़ कर दी गई है इस प्रकार 17 नवम्बर 1965 के आदेशानुसार ही व्यवस्थापन का परीक्षण किया जावेगा क्योंकि वर्ष 1957 के पूर्व कब्जा सिद्व नहीं है। नायव तहसीलदार की रिपोर्ट दिनांक 3-2-1970 के अनुसार आवेदकों के पास 27-19 एकड़ भूमि वहिस्सा बराबर भूमिस्वामित्व में पाई जाती है। पट्टे की इस सीमा तक भूमि होने से 17 नवम्बर 1965 एंव उसके वाद के अन्य ज्ञापनों के अनुसार आवेदकों को भूमि व्यवस्थापन की पात्रता नहीं है।

अनुविभागीय अधिकारी ने आवेदकगण का आवेदन पत्र अपात्र पाने के कारण निरस्त किया है जिसके कारण अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण क्रमांक 542/1985-86 अपील में पारित आदेश दिनांक 12-9-2006 से

आवेदकों के अपात्र होने से अपील निरस्त करते हुये अनुविभागीय अधिकारी के आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया है तथा आवेदकों की ओर से आदेश दिनांक 12-9-2006 के विरूद्व प्रस्तुत पुनरावलोकन आवेदन भी निराधार पाने से निरस्त किया है । अनुविभागीय अधिकारी, अमरपाटन के आदेश दिनांक 31-3-86 में निकाले गये निष्कर्ष एंव अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा आदेश दिनांक 12-9-2006 में निकाले गये निष्कर्ष समरूप हैं जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में हस्तक्षेप की गुॅजायश नहीं हैं।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जान से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण कमांक 3/2008-09 पुनरावलोकन में पारित आदेश दिनॉक 30-10-08 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल,
मध्य प्रदेश ग्वालियर